

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 174/2022

अनवान :

रुलीचन्द पुत्र शिवनाथसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम


1. शिवनाथसिंह पुत्र रामू जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
2. दयाराम पुत्र शिवनाथसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
3. उर्मिला पुत्री शिवनाथसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
4. चन्द्रकला पुत्री शिवनाथसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं० 211/190 के मु०न० 166 के किला न० 3/1, 4 ता 7, 8/1, 13/1, 14 ता 17, 18/1 मु०न० 167 के किला न० 10 व 11 की 3.516है० वारानी की खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं० 1 शिवनाथसिंह के नाम तथा रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं० 150/141 के मु०न० 146 कि०न० 18 ता 22, मु०न० 147 कि०न० 16, मु०न० 165 कि०न० 25 मु०न० 166 कि०न० 21 ता 24, मु०न० 167 कि०न० 1 व 2, मु०न० 168 कि०न० 2 ता 4 की 4.0480है० वारानी में प्रतिवादी सं० 1 शिवनाथसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषिभूमि जिसमें से प्रतिवादी सं० 1 शिवनाथसिंह का नाम कलमजन कर वादी रुलीचन्द व प्रतिवादी सं० 2 दयाराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 शिवनाथसिंह, प्रतिवादी सं० 3 उर्मिला व प्रतिवादी सं० 4 चन्द्रकला ने अपना हक हिस्सा वादी रुलीचन्द व प्रतिवादी सं० 2 दयाराम के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं० 211/190 के मु०न० 62 के किला न० 22/1, 22/2, 23 मु०न० 74 के किला न० 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 8/1, 8/2, 9/1 की कुल 1.0500है० वारानी मय रास्ता कृषिभूमि प्रतिवादी सं० 1 शिवनाथसिंह के नाम यथावत रखी जाती है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़